

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

election09@gmail.com फोन न० (0135) - 2713551 फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 70/XXV- 53(P-14)/2021

देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2024

सेवा में,

सचिव,

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- शिकायतकर्ता श्री समीर सरदाना के शिकायत संख्या 15525 के कम में प्रत्युत्तर का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री समीर सरदाना, निवासी- डी-113, सेक्टर-04, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून के उत्तराखण्ड सूचना आयोग में की गयी शिकायत संख्या-15525 जो आयोग के पत्र संख्या- 8574 दिनांक 06 नवम्बर, 2023 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा उक्त शिकायत पर सुनवाई की तारीख 08.01.2024 समय 11:15 बजे नियत की गयी है। मा0 आयोग उक्त नोटिस द्वारा सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

अ: शिकायतकर्ता के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर-	1-लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-565/XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र कार्यालय अन्य विभाग/कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण अन्तरित की गयी है (छायाप्रति संलग्न) 2-इस कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या-573 दिनांक दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क मु0-244 की सूचना सामग्री तैयार किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायतकर्ता प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को प्रथम अपील, विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संख्या-903 दिनांक 17जून,2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा के पत्र संख्या-945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना विभागीय वेबसाईट ceo. uk. gov.in पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत कराया गया है।
ब: पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा	पत्रावली संख्या- XXV-53 (P14)/2021 में व्यवहृत है।
स: लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका	अनुरोध के पंजीकरण हेतु पंजिका के पृष्ठ संख्या-57 क्रमांक-211 (फोटो प्रति संलग्न) पंजिका निर्धारित तिथि को मा0 आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।
द: लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गए सूचना की प्रतियाँ	लो0सू0अधिकारी के पत्र संख्या-573/XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी, आवेदक द्वारा शुल्क उपलब्ध नहीं करायी गयी।
ध: विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति	आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
न: नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य	मा0 आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-क, के अनुसार सूचना तैयार कर, समस्त सूचनाओं की प्रति सादर सेवा में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. N. N. N.

(बी0एस0 रावत)

अनुभाग अधिकारी,

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड देहरादून।

घात - 07/11/21

Time - 2:35

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड़, देहरादून

शिकायत संख्या: 15525

शिकायत अंतर्गत धारा: 18 (1) सू० का० अधि० अधिनियम 2005

शिकायतकर्ता : श्री समीर सरदाना,, निवासी -डी -113, सेक्टर -04, डिफेन्स कॉलोनी देहरादून, 248001

बनाम

प्रत्युत्तरदाता

1: लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, देहरादून, जिला देहरादून /

नोटिस

शिकायतकर्ता श्री समीर सरदाना, ने अपने पत्र दिनांक 07-10-2023 द्वारा अवगत कराया है कि उन्हें सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संतोषजनक सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

2. आयोग के द्वारा उपरोक्त पत्र को शिकायत के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) के प्राविधानों के अंतर्गत निस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 07-10-2023 के संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 1: लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, देहरादून, जिला देहरादून /, से अपेक्षित है कि वह दिनांक 08-01-2024 को वाद सूची के क्रम के अनुसार 11:15 AM बजे सूचना आयोग के सम्मुख लिखित उत्तर, मय समस्त प्रमाण पत्र के स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि (जो कि जहां तक सम्भव हो, विभाग के राजपत्रित / वरिष्ठ अधिकारी हों) के माध्यम से उपस्थित हों। प्रत्युत्तरदाताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे लिखित उत्तर आयोग को सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व आयोग को भी प्रेषित करें।

संलग्नक: यथोपरि

आयोग की ओर से

(रज़ा अब्बास)
उप सचिव

संख्या 8574 / उ०सू०आ०/शिकायत/2023-24 / (CIC)
प्रतिलिपि

दिनांक 06.11.23

1: लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, देहरादून, जिला देहरादून /

2: शिकायतकर्ता / श्री समीर सरदाना, / निवासी -डी -113, सेक्टर -04, डिफेन्स कॉलोनी देहरादून, 248001 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु

(रज़ा अब्बास)
उप सचिव

—:आवश्यक निर्देश:—

- आयोग के अंतरिम आदेशों की प्रतियां डाक द्वारा या अन्य माध्यम से आयोग के द्वारा प्रेषित नहीं की जाएंगी। आयोग के अंतरिम आदेश/आदेश आयोग की वेबसाइट UIC.UK.GOV.IN से डाउन लोड किए जा सकते हैं। डाउन लोड की सरल प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी असुविधा के लिए आयोग के फोन नम्बर 0135-2662021, 2662180 या ई-मेल आई.डी. secy-uic@gov.in पर भी श्री राजेश नैथानी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग के द्वारा यदि किसी लोक प्राधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों से कोई पृच्छा की गयी हो, तभी आयोग को पत्राचार किया जाए और ऐसे समस्त पत्राचार मा० मुख्य सूचना आयुक्त या सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पदनाम से सम्बोधित कर किये जाएं। किसी भी द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई के संदर्भ में अथवा अंतिम आदेश की अनुपालन आख्या या अनुपालन में, किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार मा० राज्य सूचना आयुक्त, जिनके द्वारा सुनवाई की गयी है, को नहीं किया जाएगा। किसी पदाधिकारी को या किसी व्यक्ति को किये गये आंतरिक पत्राचार की प्रतिलिपि मा० मुख्या सूचना आयुक्त, मा० राज्य सूचना आयुक्त या सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग को न किया जाए। किसी मामलों में कोई कार्यवाही करने की आख्या या आयोग के आदेशों की अनुपालन आख्या मा० मुख्य सूचना आयुक्त अथवा सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सम्बोधित करते हुए प्रेषित कि जाएं। ऐसे पत्राचार में अपने पदनाम के साथ-साथ अपना नाम व दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ई०मेल आई.डी. का अवश्य उल्लेख करें।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्र/अपीलीय पत्र पर किये जाने वाले समस्त पत्राचार में सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने पद नाम के साथ-साथ अपना नाम व दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ई०मेल आई.डी. का अवश्य उल्लेख करें।

12
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

ई-मेल से प्राप्त

IN THE UTTARAKHAND STATE INFORMATION COMMISSION - FOR COMPLAINT U/S 18 OF THE

RTI ACT, 2005

पत्रांक

9/1/2012
11288

Uttarakhand Information Commission, RTI Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road,

Ladpur,

Dehradun 248008, India

COMPLAINT U/S 18 OF THE RTI ACT, 2005 UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Mr. Samir Sardana
D-113, Sector 4, Defense Colony
Dehradun,
Uttarakhand - 248001

Appellant

Vs

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,
Vishwakarama Bhawan, first Floor
Secretariate Campus, 04-Shubhash Road
Dehradun - 248001

Respondent No.1

INDEX OF DOCUMENTS			
S.No.	Description of Documents	Page No.s	Remarks
1	2ND APPEAL Memo with Verification	1 to 9	
2	RTI APPLICATION	10 to 12	
3	PIO REPLY	13 TO 12	
4	1 ST APPEAL	13 TO 22	

Memo of COMPLAINT u/s 18 of the RTI Act,2005

1. Section A

1.1. This is the " COMPLAINT " being filed by the Appellant u/s 18 of the RTI Act,2005, W.R.T. **ILLEGAL REJECTION OF INFORMATION AND NO FAA ORDER AND NO FAA NAME AND ADDRESS**

1.2. The Index of Documents, attached with this 2ND APPEAL, re provided below:

RTI APPLICATION

PIO REPLY

1ST APPEAL

FAA ORDER

1..3. The Information Sought from the PIO is llisted in the RTI Application and the 1st Appeal

2. Section B

2.1. Some of the details required in the **Appeal, as stated in the Rules ,of the Central Information Commission (Appeal Procedure) Rules,2005**, vide DOPT Notification No.F.No. 1/4/2005-IR,dated the 28th of October,2005,are stated below:

(i) name and address of the Appeal

Mr.Samir

SardanaD-

113,Sector 4

Defense Colony

Dehradun

Uttarakhand – 248001

(ii) name and address of the Public Information Officer and FAA against whose decision the Appeal is preferred

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,

Vishwakarama Bhawan, first Floor

Secretariate Campus, 04-Shubhash Road

Dehradun - 248001

(iii) particulars of the order including number, if any, against which the COMPLAINT is preferred

● **PIO REPLIES ARE MANY**

Brief facts leading to the Appeal

2.2. Chronology of events

- 2.2.1. The Chronology of the events, is stated as under:

- **PIO Reply DATED APRIL 25 2023 TO JULY 2023**

2.3. Critical Facts

- **THE FAA HAS NO ORDERS INSPITE OF REPEATED REMINDERS AND THERE IS NO FAA ADDRESS AND COORDINATES INSPITE OF REMINDERS**

2.4. Importance of information sought

2.4.1. The Information sought by the RTI Applicant is of "vital importance" to the Appellant and in Public Interest

- **IT BRINGS TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY, INTO THE OPERATIONS OF THE UTTARAKHAND GOVTT AND THE PANCHAYAT ELECTIONS**

3. Section C

(vi) relief sought

3.1. This Appeal is being filed to obtain the following reliefs, as under:

- **PROVIDE ALL THE INFORMATION SOUGHT BY THE APPLICANT**
- **IMPOSE PENALTY ON PIO FOR FALSE REPLY AND ILLEGAL REJECTION**

4. Section D

(vii) grounds for the prayer or relief;

4.1. The **Grounds for Relief** against the PIO, are summarized, as under:

Ground of PIO – No.1

- **THE PIO HAS MADE AN ILLEGAL REJECTION**

5. Section E

(vii) grounds for the prayer or relief;

5.1. The **Grounds for Relief** against the FAA, are THAT HE HAS PASSED NO ORDERS, INSPITE OF REMINDERS AND THERE IS NO FAA COORDINATES

5. Section F

Public Interest.

6.1. THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC AND NATIONAL INTEREST, AS THE MATTER IS OF PUBLIC IMPORTANCE AND RELATES TO CORRUPTION AND WASTAGE AND LOSSES

7. Section F - Grounds of the APPEAL

7.1. The actions of the PIO are patently and blatantly illegal and malafide with intent to cheat and defraud the Appellant, besides reflecting the animus and bias, against the Complainant - and the Grounds of Appeal are listed below:

7.2. The SIX (6) Grounds of Appeal, are given below:

- Ground of Appeal No.1 - The PIO HAS MADE A ILLEGAL REJECTION
- Ground of Appeal No.2- THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC INTEREST
- Ground of Appeal No.3- PIO is not equipped to execute a Rights based welfare enactment
- Ground of Appeal No.4- PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY is not exempted from standards of oversight, transparency and accountability
- Ground of Appeal No.5- PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY IS CLEARLY LIABLE FOR PENALTY U/S 20(1) OF THE RTI ACT

7.2.1. Ground of Appeal No.1 - The PIO HAS MADE A ILLEGAL REJECTION

PIO HAS MADE AN ILLEGAL AND SENSELESS REJECTION BY MAKING A NON REPLY AND ALSO MANY PANCHAYATS HAVE NOT REPLIED AT ALL AND NOT EVEN 1 PIO REPLY STATES THE NAME AND ADDRESS OF PANCHAYAT FAA ,AS EVIDENCED BELOW:

Re: RTI -2005

Inbox

Thu, Jun 22, 2023 at 10:41 AM:

Sam thedivine

<samthedivine@gmail.com>

To: CEO Uttarakhand <election09@gmail.com>

[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

SIR

WHO IS THE FIRST APPELLATE AUTHORITY FOR THE PANCHAYAT INFORMATION

NOT EVEN 1 PIO HAS STATED THE FAA COORDINATES

SAMIR SARDANA

On Wed, Jun 21, 2023 at 2:55 AM CEO Uttarakhand <election09@gmail.com> wrote:

Respected sir

plz find the attachment,

o/o ceo uk

URGENT - CONTACT DETAILS OF ZILA PANCHAYATI RAJ ADHIKARI AND

<https://mail.google.com/mail/u/0/h/1mzqqk6qpey/?view=lg&msg=1892c822dd55c03b>

5/5

THE Department of Panchayati Raj-UTTARAKHAND

Inbox

Sun, Jun 25, 2023 at 1:52 AM

sam thedivine

<samthedivine@gmail.com>

To: cs-uttaranchal@nic.in, cs-uttarakhand@nic.in

[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

**THE CHIEF SECRETARY
UTTARAKHAND GOVTT
DEHRADUN
UTTARAKHAND**

SIR

I HAVE RECEIVED A LETTER FROM ZILA PANCHAYATI RAJ ADHIKARI WITH NO NAME AND NO ADDRESS AND EMAIL OR TELE

LETTER NUMBER IS 839/2023-24 DATED 13TH OF JUNE 2023

WHO IS HE ? WHERE IS HE LOCATED ? WHAT IS HIS TELE ?
THE

Department of Panchayati Raj-UTTARAKHAND

WEB SITE IS DOWN



This page isn't working
Right-click here to get details about this error.

Details



KINDLY REVERT AT THE SOONEST OR ASK THEM SEND ME THEIR CONTACT DETAILS

SAMIR SARDANA

[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

Mon, Jul 3, 2023 at 3:13 AM

sam thedivine

<samthedivine@gmail.com>

To: SECYNKJHA@gmail.com


[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

**THE SECRETARY
PANCHAYATI RAJ**

- Show quoted text -

SENSELESS LETTER FROM ZILA PANCHAYAT

Inbox

 Tue, Jul 4, 2023 at 2:27 PM

sam thedivine

<samthedivine@gmail.com>

To: SECYNKJHA@gmail.com

[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1rnzqqk6qpey/?view=lg&msg=1892c822dd55c03b

5/5

SECRETARY PANCHAYAT RAJ
UTTARAKHAND GOVTT
DEHRADUN
UTTARAKHAND

SUBJECT - SENSELESS LETTER FROM ZILA PANCHAYAT

SIR

I HAVE RECEIVED THIS LETTER FROM ZILA PANCHAYAT RAJ ADHIKARI

IT HAS NO NAME
IT HAS NO SIGN
IT HAS NO ADDRESS
IT HAS NO TE;E
IT HAS NO EMAIL ID
IS THE DESIGNATED PERSON MALE OR FEMALE ?
IS THIS THE WAY TO RESPOND TO AN RTI APPLICATION


Yours Sincerely,

Samir Sardana
D-113, Sector 4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

 PANCHAYAT.pdf
126K [View as HTML](#) [Scan and download](#)

WHO IS THE FIRST APPELLATE AUTHORITY FOR PANCHAYATS

Inbox

 Tue, Jul-4, 2023 at 2:30 PM

Sam thedivine
<samthedivine@gmail.com>
To: SECYNKJHA@gmail.com
[Reply](#) | [Reply to all](#) | [Forward](#) | [Print](#) | [Delete](#) | [Show original](#)

SECRETARY PANCHAYAT RAJ
UTTARAKHAND GOVTT
DEHRADUN
UTTARAKHAND

SUBJECT - WHO IS THE FIRST APPELLATE AUTHORITY FOR PANCHAYATS

SIR

ATTACHED ARE SOME PIO REPLIES ON PANCHAYAT POLLS

IT HAS NO NAME OF FIRST APPELLATE AUTHORITY OR RIGHT OF APPEAL. THERE IS NOTELE OR EMAIL ID

THERE IS IN SOME CASES NO ADDRESS

HOW DO I MAKE AN APPEAL

IS THIS THE WAY TO RESPOND TO AN RTI APPLICATION


Yours Sincerely,


Samir Sardana
D-113, Sector 4,

<https://mail.google.com/mail/u/0/h/1mzqoqk6qpey/?view=lg&msg=1892c822dd55c03b>

Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

2 attachments — [Download all attachments](#)

 ELECTION PIO PART 6 REPLY.pdf
802K [View as HTML](#) [Download](#)

 ELECTION PART 5.pdf
2554K [View as HTML](#) [Download](#)

7.2.2. Ground of Appeal No.2 - THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC INTEREST

7.2.2.1. THE INFORMATION IS SOUGHT IN PUBLIC AND NATIONAL INTEREST, AS IT RELATES TO THREATS TO CORRUPTION AND LOSSES AND WASTAGES

7.2.3. Ground of Appeal No.3 - PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY is not exempted from standards of oversight, transparency and accountability

7.2.3.1. . In addition, the information is also sought in the public interest, to assess the integrity, competence, efficacy and effectiveness of the SOCIETY and the political and other pressures that it possibly operates under

o In this regard, the Supreme Court Direction No.14, in the case of Vineet Narain & Others vs. Union Of India & Another on 18 December, 1997, Bench: S.P. Bharucha, S.C. Sen, may be noted as under :

§ A document on CBI 's functioning should be published within three months to provide the general public with a feedback on investigations and information for redress of genuine grievances in a manner which does not compromise with the operational requirements of the CBI

7.2.3.2. Haryana HC held that if the PA has "nothing to hide" and the information will promote transparency, the information has to be disclosed, as under:

o LPA 744 and 755 of 2011, First Appellate Authority and Addl DGP v CSIC, Haryana, the bench of Hemant Gupta, AN Jindal, JJ on 2842011 observed:

§ If such information is disclosed, it will lead to transparent administration which is anti-thesis of corruption. If organization has nothing to hide or to cover a corrupt practice, the information should be

made available.

§ The information sought may help in dispelling favoritism, nepotism or arbitrariness. Such information is necessary for establishing the transparent administration

7.2.4. Ground of Appeal No 5- PIO IS NOT EQUIPPED to execute a Rights based welfare enactment

7.2.4.1. The PIO **DOES NOT** understand **THE SPIRIT OF** the RTI Act, 2005, and its discretionary provisions

HON'BLE HIGH COURT OF DELHI in WP(C) No. 3114/2007, decided on 03.12.2007, Appellants: Bhagat Singh Vs. Respondent: Chief Information Commissioner and Ors.

o A rights based enactment is akin to a welfare measure, like the Act, should receive a "liberal interpretation". The "contextual background and history" of the Act, is such that the exemptions, outlined in Section 8, relieving the authorities from the obligation to provide information, constitute restrictions on the exercise of the rights provided by it.

o Therefore, such exemption provisions have to be construed in their terms; there is some authority supporting this view (See Nathi Devi v. Radha Devi Gupta 2005 (2) SCC 201; B. R. Kapoor v. State of Tamil Nadu 2001 (7) SCC 231 and V. Tulasamma v. Sessa Reddy 1977 (3) SCC 99).

o **Adopting a different approach would result in narrowing the rights and approving a judicially mandated class of restriction on the rights under the Act, which is unwarranted.**

9. Order Sought

9.1. The Appellant seeks the following order from the CIC


- Impose Maximum Penalty, on the PIO under Section 20(1), of the RTI Act, 2005
- Dismissal of the PIO FOR ILLEGAL AND MALAFIDE ACTION, and also under the PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY SERVICE RULES- which has several provisions for the same
- Administrative action and/strictures, against the PIO (under Section 20(2), of the RTI Act, 2005, and also under the PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY service rules- which has several provisions for the same
- Recommendation to the PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY for administrative action and/strictures, against the PIO
- Direct the Respondents to refund the Application fee paid by Complainant while submitting RTI Application, as per section (7)(6) of the RTI Act;
- PROVIDE ALL THE INFORMATION SOUGHT BY THE APPLICANT U/S 7(6) OF THE RTI ACT
- Invoke its powers under the RTI Act to issue any other direction or recommendation

as it may deem appropriate.

- Direct the public authority to make entry in Service Book/Annual Performance Appraisal Report of the PIO for defying the provisions of the Act (under the PANCHAYAT ELECTION AUTHORITY SERVICE RULES- which has several provisions for the same)

Verification

I, Mr Samir Sardana, resident of D-113, Sector 4, Defense Colony, Dehradun, Uttarakhand - 248001, do hereby state on oath and verify that the contents of all the paras of the above Appeal, are true to the best of my knowledge and belief, and no part of it is false



Signature

Appellant – Samir Sardana

Place – Delhi, Date – 5TH OCTOBER,,2023

•
•
•

सुरक्षा

THE PIO

Office of the Chief Electoral Officer, Uttarakhand,
Vishwakarama Bhawan, first Floor
Secretariate Campus, 04-Shubhash Road
Dehradun - 248001

Subject – CEC UTTARAKHAND - RTI Application for Inspection, Certified Copies and information u/s 2(i), and 6(1) of the RTI Act

Dear Sir,

RTI Application and IPO

1.1.This is a "RTI Application u/s 2(f),2(j) & 6(1)" of the "RTI Act,2005",

1.2.An IPO of Rs 10/- has been sent to you by speed post

2.Particulars of RTI Applicant

2.1.Particulars of the RTI Applicant, are as under :

·Name of RTI Applicant - Samir Sardana

·Address - D-113,Sector 4,Defense Colony, Dehradun, Uttarakhand -248001.

3.Context and Public Disclosure

3.1. As per the CIC,Election affidavits,expenses and results by polls and candidates are to be uploaded on portals of cec free of cost

<https://timesofindia.indiatimes.com/India/public-representative-cant-deny-declared-info-under-rti-cic/articleshow/66057436.cms>

<https://www.moneylife.in/article/upload-credentials-and-affidavits-of-panchayat-election-candidates-orders-mps-information-commissioner/64402.html>

<https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/candidates-affidavit-should-be-open-to-public-scrutiny/article25419875.ece>

3.2.Many states upload the Election affidavits,expenses and results by polls and candidates on their portal

<https://ceobihar.nic.in/affidavits.html>

<https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Affidavits/candidate-affidavits.aspx>

<https://ceochhattisgarh.nic.in/en/candidates-affidavit-and-expenses>

4. PUBLIC AUTHORITY

4.1. CEC UTTARAKHAND IS A PUBLIC AUTHORITY ,UNDER THE RTI ACT

5.RTI Information Sought

5.1. The Following Information is sought from the PIO

Section 4

- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates, in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the aggregate assets, liabilities, age, Educational Qualifications of all the winning candidates, in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to provide the election affidavits and expenses, of all the winning candidates, in the last Panchayat Polls
- PIO to provide the aggregate assets, liabilities, age, Educational Qualifications of all the winning candidates, in the last Panchayat Polls

Inspection

- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates, in the last Lok Sabha and State Polls, for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to allow the applicant to inspect the election affidavits of the candidates, in the last Panchayat Polls, for the Top 2 candidates by vote number for each seat

Vote results

- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex, Age, Religion and Caste, in the last Lok Sabha and State Polls, for the Top 2 candidates by vote number for each seat
- PIO to provide the FINAL VOTING RESULTS, by Sex, Age, Religion and Caste, in the last Panchayat Polls, for the Top 2 candidates by vote number for each seat

Voter Deletions

- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists, in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists, by Sex, Age, Religion and Caste, in the last Lok Sabha and State Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists, in the last Panchayat Polls
- PIO to state the number of names DELETED from the voter lists, by Sex, Age, Religion and Caste, in the last Panchayat Polls

Registered Unrecognised Political Parties

- PIO to state the names of the Registered Unrecognised Political Parties in the last 3 Lok Sabha and State Polls (who contested the polls)
- PIO to state the names of the Registered Unrecognised Political Parties in the state of Uttarakhand
- PIO to state the number of votes of EACH the Registered Unrecognised Political Parties in EACH of the last 3 Lok Sabha and State Polls

Delimitation

- PIO to state the number of orders and order ref number of the Orders of the Delimitation Commission for the state of Uttarakhand and provide copies of the same

Antecedents

- PIO to state the names of the candidates with criminal antecedents (with addresses and parties), in the last 2 Lok and Rajya Sabha Polls

EVM

- PIO to state the number of EVM, which malfunctioned in the last Lok Sabha and Rajya Sabha Polls
- PIO to state if any IT or other TECHNICAL AUDIT OF THE EVM HAS BEEN DONE/SPONSORED BY CEC UTTARAKHAND, IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT, NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

AUDIT

- PIO TO STATE IF ANY IT AUDIT HAS BEEN DONE, OF THE VOTER LIST, AND VOTER I CARD SYSTEM, IN THE LAST 5 YEARS
- PIO TO STATE THE YEAR OF THE SAID AUDIT, NAME OF AUDITOR AND PROVIDE A COPY OF AUDIT REPORT

AUDIT REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES, WHICH DID NOT SUBMIT THEIR AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS, FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE AUDIT REPORTS AND ANNUAL ACCOUNTS, SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY REGISTERED POLITICAL PARTIES

CONTRIBUTION REPORTS

- PIO TO STATE THE NAMES OF THE POLITICAL PARTIES, WHICH DID NOT SUBMIT THEIR CONTRIBUTION REPORTS, FOR THE LAST 2 YEARS
- PIO TO ALLOW THE APPLICANT TO INSPECT THE CONTRIBUTION REPORTS, SUBMITTED TO THE CEC UTTARAKHAND BY POLITICAL PARTIES

6. Information required in Public Interest

5.1. The Public interest is obvious and will be explained in the appeal

7. Burden of Proof - By Law and Case Laws

7.1. As per Section 19(5) of the RTI Act, 2005, **the burden of proof lies in the PIO/CPIO/Public Authority.** According to Section 19(5) **"In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request."**

The same is also held in **BS. Mathur Vs. Public Information Officer of Delhi High Court, W.P. (C) 295 and 608/2011 High Court of Delhi**.

7.2. As per Section 20(1) of the RTI Act - Provided further that the **"burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer"** or the State Public Information Officer, as the case may be.

Yours Sincerely,

Samir Sardana

**D-113, Sector 4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001**

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
 विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर-4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001
 Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन नं (0135) - 2713551
 फैक्स नं. (0135) -2713724.

संख्या- 565/XXV- 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 11 अप्रैल, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र सेवा में,

1. केन्द्रीय लोक सूचना अधि० / प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली। /
2. समस्त लोक सूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।
3. लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास लाडपुर रोड़, देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक Samir Sardana D-113, Sector 4, Defence Colony, Dehradun का अनुरोध पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 05.04.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है जिसमें निम्नानुसार सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित हैं:-

विभाग का नाम जिन्हे सूचना हस्तान्तरित की जा रही है।	विषय वस्तु	सूचना का विवरण
लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग लाडपुर देहरादून	Section 4	बिन्दु संख्या-3 एवं 4
	Inspection	बिन्दु संख्या-2
	Vote results	बिन्दु संख्या-2
	Voter Deletions	बिन्दु संख्या-3 एवं 4
समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहा० जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।	Section 4	बिन्दु संख्या-1 एवं 2
	Registered Unrecognised political Parties	बिन्दु संख्या-1 एवं 3
	Antecedents	बिन्दु संख्या-1
	EVM	बिन्दु संख्या-3
	Audit	बिन्दु संख्या-1 एवं 2
केन्द्रीय लो०सू०अधि०/ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली।	EVM	बिन्दु संख्या-2
	Audit Reports	बिन्दु संख्या-1
	Contribution Reports	बिन्दु संख्या-1

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,
B. S. Rawat
 (बसन्त सिंह रावत)
 अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी।

प्र०संख्या- 565 /XXV- 53(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- Samir Sardana D-13, Sector 4, Defence Colony, Dehradun को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
 (बसन्त सिंह रावत)
 अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी।



सूचना विभाग

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं (0135) - 2713651
फैक्स नं (0135) -2713724.

संख्या- 600 / XXV- 53(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक / 9 अप्रैल, 2022

सेवा में,

Shri Samir Sardana,
D-113, Sector 4,
Defence Colony, Dehradun

विषय-
महोदय

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके अनुसंध पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-565 दिनांक 12.04.2023 एवं पत्र संख्या-573 दिनांक 13.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में आपके ईमेल दिनांक 13.04.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि स्वतः स्फूर्त प्रकटन हेतु सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय की वेबसाईट <https://ceo.uk.gov.in> एवं eci.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अतः आप उक्त जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते हैं-

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड,
देहरादून-248001

भवदीय,

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

सूचना का अधिकारी/पंजीकृत
दूरभाष-05962-232828, 232828
ई-मेल-adeopael.alm@gmail.com

सलगनक-5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
कार्यालय पंचास्थानि घुनावालय, धारानौला, अल्मोड़ा।

पत्रांक- 25 / पंचु0 / सूअधि0 / 2023-2024

दिनांक 29/04/2024

Shri Samir Sardana,
D-113 Sector-4, Defense Colony,
Dehradun,
Uttarakhand-248001

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने सम्बन्ध में।

कृपया अपने सूचना के अधिकार के अनुरोध पत्र संख्या-565/XXV-33 P/2023 जो कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-39/सूकाअ0/3050/2023 दिनांक-18 अप्रैल, 2023 द्वारा सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के नमूने में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अनुरोध पत्र में आपके द्वारा चाही सूचना जो इस कार्यालय के अन्तर्गत सदस्य जिला पंचायत पद के प्रत्यासियों से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में अद्यतन करने है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना सामाग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करवाए जाने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू०-3806.00 अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

क्र० सं०	व्यय की मद (जो कि आपके द्वारा चाही गयी सूचना से सम्बन्धित है)	दर प्रति पृष्ठ 2.00 (रू०)	कुल रुपये (रू०)
1	Section 4 (3) PIO to provide the election affidavits and expenses of all the winning candidates in last Panchayat Polls. (4) PIO to provide the aggregate assets, liabilities, age, Educational Qualifications of all the winning candidates in the last Panchayat Polls.	913x2	1826
2	Inspection (2) PIO to all the applicant to inspect the election affidavits of the candidates in the last Panchayat polls for the Top 2 candidates by vote number for each seat.	924x2	1848
3	Vote results (2) PIO to provide the final voting results by Sex, Age, Religion and Caste in the last Panchayat polls for the Top 2 candidates by vote number for each seat.	66x2	132
योग - (तीन हजार आठ सौ छः रुपये) मात्र			3806
4	विलोपित किये गये मतदाताओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अतिरिक्त दज नहीं किया जाता है।		

क्रमांक 2

प्रमाण द्वारा जारी पत्र सुकान को प्रमाण करने के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र
जमा करने की बात ही प्रमाण होगी। इस पत्र की तिथि में अधिकतम सुकान प्रमाण पत्र की तिथि
तक का समय सुकान प्रमाण पत्र को लिए निर्धारित 28 दिनों में ही प्राप्त करना।

भवदीय



सहायक जल सुकान अधिकारी
सहायक जल निरीक्षण अधिकारी
सहायक जल सुकान अधिकारी

प्रतिपत्र - जल सुकान अधिकारी, सहायक जल सुकान अधिकारी
सहायक जल निरीक्षण अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रमाण-28 दिनों में 28/04/2023 को जमा करने के लिये।

सहायक जल सुकान अधिकारी
सहायक जल निरीक्षण अधिकारी
सहायक जल सुकान अधिकारी

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी, पाटी (चम्पावत)।

पत्रांक 188/सामाय/सूअअभिवि-शुल्क/2023-24

दिनांक- 01 जून 2023

श्री मोगी चम्पावत

ब्लॉक 113 एकेटा-4 डिपेंडेंस कॉलोनी, देहरादून।

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 शुल्क जमा करने के संबंध में।

कृपया अपने सूचना अधिकार पत्र दिनांक 03.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो लोक सूचना अधिकारी/ श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के कार्यालय के पत्र संख्या 888 XXV-53(P-14)/2021 देहरादून दिनांक 11.04.2023 के द्वारा हस्तान्तरित हुआ तथा राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के पत्रांक 39/सूचना का अधिकार /3050/2021 दिनांक 18.04.2023 को समस्त लोक सूचना अधिकारी, पंचस्थाने चुनावालय विकास भवन चम्पावत के पत्रांक-20/सूअओ 2022-23 दिनांक 27 अप्रैल 2023 को लोक सूचना अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, कार्यालय पाटी को हस्तान्तरित हुआ जो दिनांक 12.05.2023 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा मोगी मयी सूचना section-4 बिन्दु संख्या-03 धारित नहीं है तथा section-4 बिन्दु संख्या-04, inspection बिन्दु संख्या-02 voter results बिन्दु संख्या-02 voter deletions बिन्दु संख्या-03 एवं 04 एकत्रित कर उपलब्ध कराने पर सूचना- 10020 पृष्ठ में संकलित हो पायेगी। अतः सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर 10020 x 2=20040.00 रु मात्र शुल्क देय होता है।

अतः आप सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क 31612.00 रु मात्र कार्यालय में जमा करवाने का कष्ट करें।

क्रमांक	सामग्री/ वस्तु की मद्द	दर	कुल धनराशि
1	कुल पृष्ठ(a4 size)-10020	2	20040.00 रु

लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
पाटी चम्पावत।

- संश्लेषित:-
1. लोक सूचना अधिकारी / राज्य निर्वाचन आयोग, लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।
 2. लोक सूचना अधिकारी / प्रभारी अधिकारी पंचस्थाने चुनावालय विकास भवन चम्पावत।

लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
पाटी चम्पावत।

सूचना का अधिकार

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी ताकुला (अल्मोडा)

पत्रांक 117 / सू०का अधिकार / अतिशुल्क / 2023-24 / दिनांक 01.04.2023
सेवा में,

श्री समीर सरदाना।
डी०-113 सैक्टर -4
डिफेंस कॉलोनी,
देहरादून उत्तराखण्ड।

विषय:- अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने सूचना के अनुसूच पत्र का संदर्भ ग्रहण करें आपके द्वारा मागी सूचना सानग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू० 2.00 प्रति पेपर अतिरिक्त शुल्क देय होता है।
अतिरिक्त शुल्क का विवरण।

क्र०सं०	पद का नाम	कुल पद संख्या	कुल पृष्ठ	दर	कुल धनराशि
1	प्रधान	176	3872.00	2रू०प्रति	7744.00
2	क्षेत्र पंचायत सदस्य	74	1850.00	2रू०प्रति	3700.00
			कुल धनराशि		11444.00

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो खण्ड विकास अधिकारीके नाम बना कर प्रेषित करें अथवा कार्यालय में नगद जमा करें / मागी सूचना का उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं मिला जायेगा।

राजेन्द्र प्रसाद
लोक सूचना अधिकारी,
खण्ड विकास अधिकारी

सूचना का अधिकार

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी त्राकुला (अल्मोडा)

पत्रांक 117 / सूका अधिकार / अतिशुल्क / 2023-24 / दिनांक 01.04.2023
सेवा में,

श्री समीर सरदाना।
डी0-113 सेक्टर -4
डिफेंस कॉलोनी,
देहरादून उत्तराखण्ड।

विषय:- अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने सूचना के अनुसूच पत्र का संदर्भ ग्रहण करें आपके द्वारा मांगी सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0 2.00 प्रति पेपर अतिरिक्त शुल्क देय होता है।
अतिरिक्त शुल्क का विवरण।

क्र0सं0	पद का नाम	कुल पद संख्या	कुल पृष्ठ	दर	कुल धनराशि
1	प्रधान	176	3872.00	2रू0प्रति	7744.00
2	क्षेत्र पंचायत सदस्य	74	1850.00	2रू0प्रति	3700.00
			कुल धनराशि		11444.00

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्रॉप्ट या बैंकर्स चैक जो खण्ड विकास अधिकारीके नाम बना कर प्रेषित करें अथवा कार्यालय में नगद जमा करें / मांगी गयी सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध करने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

राजेन्द्र प्रसाद
लोक सूचना अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी



सूचना का अधिकार/पञ्चायत
 दूरभाष 810-05964 297713
 Email-panchayat2013election@gmail.com

संलग्नक - 5

अतिरिक्त शुल्क के लिये सूचना का प्रेषण

कार्यालय का नाम- पंचायतानि बुनावाला पिन्डीरावडा गु-03-2013

पत्रांक 01 पठनिर्वाह / सूचना अंश / सूचना / 2013-2014 दिनांक 19/03/2013

श्री समीर सरदाना
 निवासी डी-113 सेक्टर-4
 टिकोन्स कालोनी
 देहरादून।

कृपया नोट सूचना अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 18/04/2013 दिनांक की आपकी पत्र पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के अधिकार के अन्वये पत्र द्वारा जारी की गई सूचना का अतिरिक्त शुल्क 03 एवं 04 इन्स्पेक्शन के विन्दु संख्या-02 एवं मतदाता परिषद के विन्दु संख्या-03 एवं मतदाता अपमार्जन के विन्दु संख्या-03 तथा 04 की कार्यालय में उपस्थित पिन्डीरावडा गु-03 एवं मतदाता सूची संबंधी सूचना सूचना सामग्री कुल 825 पृष्ठों में उपस्थित सूचना का प्रेषण करने और उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शुल्क के अतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

क्र.सं.	सामग्री या व्यय की मद	प्र.पृष्ठों की संख्या	शुल्क (₹)
01	सेक्शन-4 के विन्दु संख्या-03 के कुल पृष्ठों की संख्या 100-100 (ए-4 साईज)	12	2400.00
02	सेक्शन-4 के विन्दु संख्या-04 के कुल पृष्ठों की संख्या 681 (ए-4 साईज)	82	1642.00
03	इन्स्पेक्शन के विन्दु संख्या-02 के कुल पृष्ठों की संख्या सूच (अनुरोधकर्ता किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर बाकी गयी सूचना का निरीक्षण कर सकते हैं।)	00	00.00
04	मतदाता परिषद के विन्दु संख्या-02 के कुल पृष्ठों की संख्या 44 (ए-4 साईज)	10	200.00
05	मतदाता अपमार्जन के विन्दु संख्या-03 तथा 04 के कुल पृष्ठों की संख्या 25	02	400.00
	कुल योग 825 पृष्ठ	02	2000.00

इस प्रकार कुल निम्नलिखित शुल्क की अतिरिक्त प्रेषण करना होगा सूचना अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के अधिकार के अन्वये पत्र द्वारा जारी की गई सूचना का अतिरिक्त शुल्क 03 एवं 04 इन्स्पेक्शन के विन्दु संख्या-02 एवं मतदाता परिषद के विन्दु संख्या-03 एवं मतदाता अपमार्जन के विन्दु संख्या-03 तथा 04 की कार्यालय में उपस्थित पिन्डीरावडा गु-03 एवं मतदाता सूची संबंधी सूचना सूचना सामग्री कुल 825 पृष्ठों में उपस्थित सूचना का प्रेषण करने और उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शुल्क के अतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आप द्वारा वाही गयी सूचनाये कार्यालय को सम्मिलित करते हुए कुल 08 लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित है। आपका अनुरोध पत्र कार्यालय को 02 लोक सूचना अधिकारियों के अन्तरण के उपरान्त प्राप्त हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्र को बार-बार अन्तरण करने का कोई प्राविधान नहीं है। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधान के अनुसार "यदि लोक प्राधिकारियों की संख्या 02 या 02 से अधिक होती है, तो अनुरोध पत्र अन्तर्गत नहीं किया जायेगा, अपितु अपने से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए संबंधित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिए कहा जायेगा।" अतः कार्यालय में अभिसंक्षिप्त सदस्य जिला पंचायत एवं मतादाता सूची संबंधी सूचना हेतु उक्तानुसार शुल्क जमा करने का कष्ट करें तथा अवशेष सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत संबंधी सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी- विष्णु, मुनाकोट, कनालीछीना, डीडीहाट, धारचूला, मुनरयारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट से पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

उक्त सूचना के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों, तो उक्त की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी, जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं :-

अपीलीय अधिकारी का पता-

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलैक्ट्रेट परिसर, जनपद-पिथौरागढ़।
दूरभाष संख्या-05964-225301

भवदीय,

Chand 03/05/23
सहायक लोक सूचना अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि- निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित।

1. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी(प्रभारी अधिकारी), पंचास्थानि चुनावालय पिथौरागढ़।
2. लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या-39, दिनांक-18.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पिथौरागढ़।



कार्यालय मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।

क्रांक.....2786(H)

दिनांक: 25/04/23

लोक सूचना अधिकारी/उप नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(4) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के अनुस्मारक पत्रांक-205/सू0का0अधि0/2023-24 दिनांक 19.04.2023 एवं पत्रांक-53/सू0का0अधि0/2023-2024 दिनांक 06.04.2023 में संलग्न श्री समीर सरदाना पता-डी-113, सेक्टर-4, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड का आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2023 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय में क्रमशः दिनांक 20.04.2023 एवं दिनांक 06.04.2023(अनुरोध पत्र संख्या-56 एवं 21 सू0अ0) को प्राप्त हुआ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त आवेदन पत्र में अंकित Tenders-Specific-विन्दु संख्या-03 के सम्बन्ध में श्री रमेश चौहान, सामाजिक विशेषज्ञ, पी0आई0यू0 सैल, नगर निगम, देहरादून की आख्या दिनांक 26.04.2023 के अनुसार अवगत कराना है कि यह कार्य Consulting Firm-Himalayan Institute of Learning and Livelihood(Hill) Rishikesh (Uttarakhand) को अर्वाइ किया गया था। इस पर रू0-986000 Nine Lakh Eighty Six Thousand only) का व्यव हुआ है(संलग्नक-01)। उक्त विन्दु से सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेखों का आप किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के मो0नं0-9412142022 पर सन्तुष्ट कर नियमानुसार अवलोकन कर चिन्हित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना ससमय प्रेषण हेतु प्रेषित है अन्यथा की स्थिति में यदि मा0 उपरोक्त सूचना आयोग द्वारा कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अधोहस्ताक्षर जमा न करने की स्थिति में आपके वेतन से कटौती की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(डा0 अविनाश खन्ना)

डीम्ड लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपि:-श्री समीर सरदाना, पता-डी-113, सेक्टर-4, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

डीम्ड लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

ग्रामड लोक सूचना अधिकारी / मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून-

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक संख्या - 2691(II) दिनांक 21/04/2023 (प्राप्ति तिथि 24/04/2023) के कम श्री समीर सरदाना, सूचना अनुरोध कर्ता द्वारा Tender Specific बिन्दु संख्या - 3 की वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

वांछित सूचना	प्रति उत्तर
PIO to state the names of the vendor who was awarded the tender for SOLID WASTE PROJECT (Tender Ref. 155/Project cell/2016 dated 13.01.2016), and the amount spent by NND on that account.	यह कार्य Consulting Firm - Himalayan Institute of Learning and Livelihood (Hill) Rishikesh (Uttarakhand) को अर्बाई किया गया था। इस पर रू० - 986000 (Nine Lakh Eighty Six Thousand only) का व्यय हुआ है।

[Handwritten Signature]
26/04/2023
SDS, NND

[Handwritten Signature]
26/04/2023

नाम _____ पता _____
दिनांक _____
स्थान _____
अधिकारी

कार्यालय-लोक सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक 839 / सात-पं० / सू०सहा० / 2023-24 / दिनांक 13/06/2023

श्री श्यामलाल जोशी,
सहायक विकास अधिकारी(पं०),
विकासखण्ड डोईवाला।

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला के संख्या-131/दिनांक 2.5.2023 जो आपको राग्वोधित है, जिसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की गई है, जिसमें आपको अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त पत्र की प्रति आपको संलग्न कर इस आदेश के साथ प्रेषित है कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना अनुरोधकर्ता अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक 839 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, देहरादून।
2. खण्ड विकास अधिकारी, डोईवाला को आपके पत्र 131/दिनांक 02.05.2023 के कम में सूचनार्थ।
3. श्री समीर सरदाना डी०-113 सेक्टर -4 डिफेंस कालोनी देहरादून को सूचनार्थ।

13/06/23
जिला पंचायत राज अधिकारी,
देहरादून।

Email

Secretary UIC

COMPLAINT u/s 18 on PANCHAYAT ELECTIONS

From : samthedivine@gmail.com
Subject : COMPLAINT u/s 18 on PANCHAYAT ELECTIONS
To : Secretary UIC <secy-uic@gov.in>

Sat, Oct 07, 2023 12:47 PM

1 attachment

Uttarakhand Information Commission.Dehradun
Address: 835G+2C9,
RTI Bhawan Mussoorie Bypass,
Ring Rd, Doon Hill Colony,
Ladpur,
Dehradun, Uttarakhand 248008

Subject - COMPLAINT u/s 18 on PANCHAYAT ELECTIONS

Sir

Kindly register this COMPLAINT **u/s 18 on PANCHAYAT ELECTIONS**

Kindly email the registration at this id and also sms case number at 8192804034

This PDF has the 2ND APPEAL, RTI APPLICATION, PIO REPLY AND 1ST APPEAL AND NO FAA ORDER

Yours Sincerely,

Samir Sardana
D-113,Sector 4,
Defense Colony,
Dehradun
Uttarakhand -248001

COMPL PANCHAYA CONS.pdf
3 MB
